

विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम गुरुवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-09 का उत्तर:-

प्रश्न

9 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 01 जनवरी, 2024 तक नकली दवाओं की रोकथाम हेतु जनपद के संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या क्या प्रयास किये गये हैं ?

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 01 जनवरी, 2024 तक वाराणसी मण्डल में नकली दवाओं की रोकथाम हेतु औपधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945 के अन्तर्गत विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रवर्तन कार्यवाही करते हुए औपधि विक्रय प्रतिष्ठानों का 826 निरीक्षण कर 742 नमूने संग्रहीत किये गये, जिसमें 27 नमूने नकली एवं 01 नमूना अधोमानक पाया गया। उक्त अवधि में नकली नमूनों से सम्बन्धित व्यक्तियों/फर्मों के विरुद्ध कुल 26 वाद मा० सक्षम न्यायालय में योजित कराये गये।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।